

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
चतुर्थ तल, ब्लॉक - 2, सेक्टर 10-ए,
कर्मयोगी भवन, गांधीनगर (गुजरात)



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
4th Floor, Block-2, Sector 10-A,
Karmyogi Bhawan, Gandhinagar (Gujarat)

ई-मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com

संख्या : गुज/खेडा/बाक्सा-25

दिनांक : 1 .12.2017

प्रेषित : Sh. Sanjay Kumar Trikamlal Shah
104, Madhav Complex,
Hospital Road, Bhuj-370001
Dist. - Kutch, Gujarat
e mail: ajaygadhvi@yahoo.com

विषय : गुजरात राज्य के खेडा जिले में स्थित आपकी **Sorna Bauxite Mine** क्षेत्रफल **26.2196**
हैक्टेयर (सर्वे नं. 551/P) हेतु खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का
उल्लंघन। (MINE CODE 07GUJ09027)

महोदय,

इस कार्यालय के डा. एन. के. माथुर, सहायक खनन भूवैज्ञानिक द्वारा आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 05.07.2017 को किये गये निरीक्षण में पाया गया था कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया और उनके निराकरण के लिये आपको 45 दिन का समय देते हुए इस कार्यालय के समसख्यक रजिस्टर्ड ए. डी. उल्लंघन पत्र दि. 23.08.2017 द्वारा आपको सूचित किया गया था:-

नियम	पाये गये उल्लंघन की विस्तृत ब्यौरा
Rule 45(5)(b) & 45(5)(c)	<p>The holder of a mining lease shall submit <u>online returns</u> in respect of each mine to the Regional Controller or any other authorised official of the Indian Bureau of Mines in the following manner.</p> <p>(b) A monthly return which shall be submitted before the 10th day of every month in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form.</p> <p>(c) An annual return which shall be submitted before the 1st day of July each year for the preceding financial year in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form.</p> <p><i>In your case, you have not submitted the online monthly returns from October 2015 & annual returns from 2015-16 onwards to till date to this office till. Therefore, you are directed to submit aforesaid return in online system immediately through www.ibm.gov.in/index.php/auth/login.</i></p>
Rule 26(2)	<p><i>A yearly report before 1st July of every year setting forth the extent of protective and rehabilitation work carried out as envisaged in the approved progressive mine closure plan has not been submitted to this office.</i></p>

02. तथापि दर्शाए गये उल्लंघनों में सुधार करने के लिए आपके पत्र सं. 23.10.2017 द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से नियम 45(5)(b), 45(5)(c) व 55(1)(c) (i) का उल्लंघन की अनुपालना नहीं मानी गयी है अतः उपरोक्त नियमों को उल्लंघन यथावत जारी है।
03. यह आपको पुनः ध्यान में लाया जाता है कि इन प्रावधानों का नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है।
04. अतः आपको इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि में कारण बताने के लिये निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अपराध के लिये क्यों नहीं आप पर अभियोग चलाया जाये?
- 05 कृपया नोट करें कि इस संदर्भ में आपको और कोई नोटिस नहीं दिया जायेगा।

भवदीय

(एस.एम.गिरहे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं/प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।
2. कमिश्नर, भू-विज्ञान एवं खान विभाग, गुजरात सरकार, ब्लोक-1, 7-फ्लॉर, उधोग भवन, गांधीनगर।
3. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो